CSPHCL छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड

निविदा क्र. 01–02/टी–वाहन/2021–22/09, दिनांक 06.07.2021

खुलने की दिनाँक– 27.07.2021, अपरान्ह – 1.00 बजे

निविदा प्रपत्र का मूल्य ` 500/– +……….% GST

<u>दो वर्ष की अवधि के लिये आटो रिक्शा मय वाहन चालक किराये पर लेने हेतु निविदा</u>

मेसर्स

नोटः– सशर्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी।

अतिरिक्त महाप्रबंधक (मा.स.)
छ.स्टे.पा.हो.कं.लिमि., रायपुर

"स्वयं एवं राष्ट्र हेतु बिजली की बचत कीजिए।"

Registered Office : Second Floor, Vidyut Sewa Bhawan, Dangania, Raipur- 492013(Chhattisgarh)
Phone-2574040, Fax- 0771-2574040, website : **www.cspc.co.in, e-mail-dgmhrs@cspc.co.in**

<u>परिशिष्ट–एक</u>

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, रायपुर को एक नग आटो रिक्शा वाहन की लगभग दो वर्ष के लिये आवश्यकता है। इच्छुक वाहन मालिकों एवं ट्रेवलिंग एजेंसी से बिन्दुवार मुहरबंद भावपत्र केवल **परिशिष्ट–तीन** के साथ में दिनांक **27.07.2021** तक आमंत्रित किये जाते है। विशेष नियम एवं शर्तें **परिशिष्ट–दो** में उल्लेखित है।

<u>निविदाकर्ता हेतु अर्हताऐं</u> :–

क्र.	निविदा की अर्हताएं	आवश्यक दस्तावेज
1	निविदाकर्ता को कंपनी /पार्टनरशिप फर्म / कोऑपरटिव्ह सोसायटी / प्रोप्रायटरी फर्म होना चाहिए / नगर निगम पंजीयन /एमएसएमई में पंजीयन अथवा स्वयं का वाहन	कंपनी / पार्टनरशिप फर्म / कोऑपरेटिव्ह सोसायटी के लिए – कंपनी /पार्टनरशिप फर्म / कोऑपरेटिवह सोसायटी के रूप में पंजीकरण का दस्तावेज **अथवा** नगर निगम/ नगर पालिक निगम/नगर पालिका द्वारा ''छत्तीसगढ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958'' के तहत् जारी दुकान एवं स्थापना का पंजीयन **अथवा** एमएसएमई में पंजीयन **अथवा** स्वयं के वाहन की स्थिति में वाहन के दस्तावेज टैक्सी कोटा/पैसेन्जर वाहन, वाहन का फिटनेस, कमर्शियल/पैसेन्जर बीमा की छायाप्रति
2	आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड	पैन कार्ड की छायाप्रति
3	जीएसटी पंजीयन	जीएसटी पंजीयन की छायाप्रति (यदि हो तो)
4	**<u>गैर जरूरी/वांछित अनुभव</u>** किसी शासकीय विभाग/शासकीय अंडरटेकिंग में मासिक किराया आधार पर कम से कम 1 वर्ष हेतु प्रदाय करने का अनुभव।	शासकीय विभाग/शासकीय अंडरटेकिंग में कम से कम 1 वर्ष हेतु वाहन प्रदाय संबंधी आदेश प्राप्त होने वाले को प्राथमिकता दी जावेगी।

<u>सामान्य शर्तें</u> :–

01. निविदा दस्तावेज दिनांक **26.07.2021** संध्या 5.00 बजे तक कार्यालयीन दिवसों में विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगे जो कि दिनांक **27.07.2021** को दोपहर 12.00 बजे तक जमा किये जा सकते है। निविदा दिनांक **27.07.2021** को सायं 1.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोले जायेंगे। निविदा खुलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। निविदा प्रपत्र कंपनी की वेबसाईड से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

02. वाहन का उपयोग, **मंत्रालयीन डाक लाने/ले जाने हेतु, नवा रायपुर अथवा रायपुर शहर** में कहीं पर भी किया जावेगा। वाहन का उपयोग वाहन लगाने की तिथि अथवा अनुबंध की तिथि, से लगभग दो वर्ष के लिये किया जावेगा। अनुबंध की अवधि को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। अतः वाहन चालन की दर 2000 कि.मी. के लिए, एवं उसके कम/अधिक चलाने की दर अलग–अलग दर्शायी जावे। वाहन अधिकतम पाँच वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आर.टी.ओ. से फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक होगा।

03. कंपनी के हित मे किसी भी कोटेशन को या सभी कोटेशन को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है, चाहे वह न्यूनतम दर हो अथवा न हो। उक्त हेतु कारण बताना कंपनी के लिये आवश्यक नहीं होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

04. वाहन किराये पर लिये जाने की दरें एवं वाहन का प्रकार, मेक, मॉडल, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, वाहन का किराया प्रतिमाह 2000 कि.मी. तक तथा 2000 कि.मी. से अधिक एवं 2000 कि.मी. से कम चलने पर कटौती की दर निर्धारित **परिशिष्ट–तीन** में ही भरें।

05. यदि निविदाकर्ता फर्म/वाहन मालिको द्वारा निविदा के अंतर्गत नवीन वाहन खरीदकर किराये हेतु कंपनी में लगाना है वह कृपया ***परिशिष्ट–तीन*** मे नवीन वाहन खरीदना स्पष्टतः दर्शायें। वाहन लगाने के पूर्व इस कार्यालय को वाहन कंपनी के अधिकृत विक्रेता से वाहन खरीदने का साक्ष्य प्रेषित करें। यदि निविदाकर्ता फर्म द्वारा वर्तमान में उपलब्ध वाहन को निविदा के अंतर्गत किराये पर लगाना है तब वाहन का रजिस्टेशन (टेक्सी कोटा मे) तथा टेक्स पेड एवं कर्मिशयल इन्श्योरेंस की फोटोकापी अपने कोटेशन के साथ संलग्न करें।

05. निविदा के साथ वाहन के लिए अमानत राशि (EMD) के रूप में ` 5,700/– (रुपये पॉच हजार सात सौ) मात्र का मांग–पत्र अथवा पे–आर्डर जो कि **"छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड"** के पक्ष मे देय हो, पृथक से लिफाफे में संलग्न करना आवश्यक है। अमानत राशि (EMD) के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

07. निविदाकर्ता को निविदा निम्न प्रकार से जमा करनी होगी :–

☐ (अ) **प्रथम लिफाफाः–** इस लिफाफे में अमानत राशि जो कि माँग पत्र अथवा पे–आर्डर के रूप में होनी चाहिए, रखकर लिफाफे को सील किया जाना चाहिए एवं लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से **"अमानत राशि"** लिखा जाना चाहिए। लिफाफे के ऊपर निविदा क्रमांक, निविदा खुलने की तारीख एवं निविदाकर्ता का नाम, पता भी अंकित होना चाहिए।

(ब) **द्वितीय लिफाफाः–** इस लिफाफे में इस कार्यालय द्वारा जारी मूल निविदा प्रपत्र रखे जावेंगे, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील होना अनिवार्य है। इसी लिफाफे में निविदा के साथ माँगे गए समस्त दस्तावेज भी रखे जावेंगे। **(परिशिष्ट–3 को छोड़कर)** जिसके अभाव में निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है। इस लिफाफे के ऊपर **"निविदा प्रपत्र एवं शर्तें"** लिखकर लिफाफा सील करना होगा। लिफाफे के ऊपर निविदा क्रमांक, निविदा खुलने की तारीख एवं निविदाकर्ता का नाम, पता भी अंकित होना चाहिए।

(स) **तृतीय लिफाफाः–** इस लिफाफे के अंदर **परिशिष्ट–3** को पूर्ण रूप से भरकर एवं हस्ताक्षर करने के पश्चात् रखकर सील किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राइटिंग की दशा में कटिंग/ओवर राइटिंग के बाद निविदाकर्ता के सील सहित हस्ताक्षर होना चाहिए। इस लिफाफे के ऊपर **"प्राइस बिड"** लिखा जाना चाहिए एवं लिफाफे पर निविदा क्रमांक, निविदा खुलने की तारीख एवं निविदाकर्ता का नाम, पता भी अंकित होना चाहिए।

यदि निविदा प्रपत्र विद्युत कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, तो ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य ` 590/- (रुपये पॉच सौ नब्बे) (500/- + 18% GST) मात्र की डीडी/बैंकर्स चेक प्रथम लिफाफे में रखना होगा जिस पर स्पष्ट रूप से "निविदा प्रपत्र का मूल्य" अंकित होना चाहिए। निविदा प्रपत्र का मूल्य प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

कटिंग/ओवर राइटिंग पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं होने की स्थिति में निविदा को अमान्य किया जावेगा। उपरोक्त तीनों लिफाफों को एक पृथक चौथे लिफाफे में रखकर सील करने के पश्चात् लिफाफे पर निविदा क्रमांक, निविदा खुलने की तारीख एवं निविदाकर्ता का नाम, पता स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। उपरोक्त प्रकार से निविदा प्राप्त नहीं होने पर निविदा को अस्वीकार किया जावेगा।

08. निविदा खोलने के उपरांत न्यूनतम दर प्रदाता फर्म को 07 दिवस के भीतर वाहन को निरीक्षण हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निरीक्षणोपरांत स्थिति संतोषजनक पाये जाने पर इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किया जावेगा।

09. निविदा की न्यूनतम वैधता, निविदा खोलने की तिथि से 90 दिनों तक होना आवश्यक है।

10. निविदा अन्तर्गत आदेश प्रसारित करने योग्य फर्म/वाहन मालिक को किराये हेतु कंपनी से अनुबंध करने अथवा वाहन लगाने से पूर्व आदेशित राशि की **10 प्रतिशत राशि डीडी/बैंकर्स चेक** के माध्यम से सुरक्षा निधि के रूप में (जिस पर ब्याज देय नहीं होगा) कंपनी के पास जमा करना होगा। फर्म के निवेदन पर सुरक्षा निधि की कटौती उनके प्रथम तीन देयकों से भी की जा सकेगी। सुरक्षा निधि की वापसी सफलतापूर्वक अनुबंध की समाप्ति पर किया जायेगा। आदेश की कंडिकाओं का उल्लंघन करने पर उक्त सुरक्षा निधि को राजसात किया जा सकता है।

11. अनुबंध करने के दौरान वाहन मालिक/फर्म द्वारा वाहन के टेक्सी कोटा के रजिस्टेशन, कर्मिशयल टेक्स पेड की प्रति तथा इंश्योरेंन्स की मूल प्रति इस कार्यालय में अवलोकन करने हेतु छायाप्रति अनुबंध के साथ नस्ती करनी होगी।

12. प्रस्तुत निविदा पर अपना सही पता टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखें ताकि कंपनी द्वारा आपसे पत्राचार किया जा सके। गलत अथवा अपूर्ण पता होने के कारण पॉवर कंपनी के द्वारा भेजे गये पत्र एवं सूचना के न मिलने पर पॉवर कंपनी उत्तरदायी नही होगी।

13. वाहन किराये पर लेने संबंधी विशेष नियम एवं शर्तें **परिशिष्ट–दो** मे संलग्न है।

14. पॉवर कंपनी को यह अधिकार है कि किसी भी परिस्थिति में निविदा खोलने संबंधी कार्यवाही आवश्यकतानुसार निरस्त की जा सकती है एवं पॉवर कंपनी द्वारा इस पर पुनः कार्यवाही की जा सकती है।

15. संचार व्यवस्था में अपरिहार्य कारणों से हुए विलंब की कंपनी उत्तरदायी नही होगी।

16. निविदाकर्ता फर्म/वाहन मालिक के लिये यह आवश्यक होगा कि वह निविदा के समस्त पृष्ठों पर फर्म की सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ इस कार्यालय से जारी मूल प्रपत्र में ही भरकर जमा करें।

17. निविदा अन्तर्गत वाहन सेवा हेतु फर्म को जारी कार्य आदेश की किसी भी शर्त का उलंघन पाये जाने पर अथवा फर्म द्वारा संतोषजनक सेवा उपलब्ध्घ न कराने पर होल्डिंग कंपनी द्वारा 30 दिवस का नोटिस जारी कर कार्य आदेश को निरस्त किया जा सकेगा।

18. निविदाकर्ता द्वारा **"प्राइस बिड"** में दी जाने वाली दरों में लागू जीएसटी की गणना पृथक से दर्शावें।

19. वाहन के किराए हेतु प्रस्तुत सभी देयकों में से आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी तथा जीएसटी धारक फर्म/वाहन मालिक जिनको जीएसटी देय होगा, के देयक से 2% TDS GST (1% CGST & 1% SGST) की कटौती भी मासिक देयकों से की जावेगी (यदि लागू हो तो)। वित्तीय वर्ष के पश्चात अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त कटौती का टी.डी.एस. प्रपत्र संबंधित वित्त विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा।

20. पेन कार्ड (यदि उपलब्ध हो) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं बैंक खाते की निरस्त की हुई चेक की एक मूल प्रति निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।

भवदीय,

अतिरिक्त महाप्रबंधक (मा.स.)
छ.स्टे.पा.हो.कं.लिमि., रायपुर

परिशिष्ट–दो

किराए पर आटो रिक्शा उपलब्ध कराने हेतु विशेष नियम एवं शर्ते

(01) वाहन का पंजीकरण पंजीकृत कंपनी/फर्म/को–ऑपरेटिव सोसायटी/वाहन मालिक के नाम पर होना चाहिए। व्यक्तिगत नाम पर पंजीकृत वाहन को निविदा अन्तर्गत किराया पर किसी अन्य व्यक्ति/फर्म द्वारा उपलब्ध कराने पर संबंधित व्यक्ति से वाहन किराये पर लगाने हेतु घोषणा पत्र/मुख्यतियारनामा दिया जाना होगा।

(02) वाहन का शासकीय कर एवं बीमा पॉलिसी इत्यादि का भुगतान पूर्ण होना चाहिए। वाहन की बीमा पॉलिसी में पैसेन्जर का इन्श्योरेंस होना आवश्यक है एवं वाहन का पंजीयन तथा बीमा के अद्यतन दस्तावेज की छायाप्रति भावपत्र के साथ संलग्न होना अनिवार्य है। नया वाहन होने की स्थिति में उपरोक्त दस्तावेज की छायाप्रति वाहन लगाये जाने के पश्चात जमा कराना आवश्यक है।

(03) वाहन की मासिक दरे चालक, पेट्रोल/डीजल, आयल एवं अन्य व्ययों सहित दी जानी चाहिए तथा जीएसटी पृथक से बताया जाना चाहिए।

(04) वाहन किराये पर लेने के पश्चात्, वाहन या वाहन चालक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिये पॉवर कंपनी जिम्मेदार नही होगी। वाहन मरम्मत का संपूर्ण भार, वाहन मालिक को वहन करना होगा। जिसके लिये कोई क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारा देय नहीं होगी।

(05) वाहन के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात ही अनुबंधित किया जावेगा।

(06) किसी भी माह मे वाहन के उपयोग मे कुल 24 घंटे से अधिक समय तक व्यवधान नही होना चाहिए। वाहन को 24 घंटे से अधिक खराब रहने की स्थिति मे वाहन मालिक को दूसरे समकक्ष वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था नही होने पर वाहन के मासिक देयक से अनुपस्थित अवधि के लिए स्वीकृत समानुपाती दर पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना सहित कटौती की जाएगी।

(07) वाहन दुर्घटना की स्थिति में भी समकक्ष वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी अन्यथा वाहन अनुपलब्ध माना जायेगा एवं अनुपलब्धता के नियमानुसार कटौती की जायेगी।

(08) वाहन 24 घंटे कंपनी की सेवा मे ही रहेगा तथा नियंत्रक अधिकारी के आदेशानुसार वाहन का चालन होगा।

(09) पॉवर कंपनी को यह अधिकार होगा कि आपात स्थिति मे कंपनी के वाहन चालक से वाहन चलवा सके।

(10) वाहन के मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति मे किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नही होगा।

(11) वाहन किराये के देयक का भुगतान, देयक जमा करने के 30 दिन के अन्दर सामान्यतः कर दिया जाता है। अपरिहार्य विलंब के लिए कंपनी उत्तरदायी नही होगी तथा कोई अतिरिक्त शुल्क मान्य नही होगा।

(12) वाहन चालक को पर्याप्त राशि ईंधन एवं आपात् कार्य हेतु देय होगी। वाहन में समय पर ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।

(13) वाहन किराये पर देने हेतु ` 300/- के स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा। किये जाने वाले अनुबंध के लिए गैर–न्यायिक स्टॉम्प पेपर का मूल्य फर्म को वहन करना होगा।

(14) अनुबंध करने के समय आदेशित फर्म द्वारा टेक्सी कोटा के रजिस्ट्रेशन एवं इन्श्योरेंस की मूलप्रति को इस कार्यालय में अवलोकन हेतु छायाप्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(15) टोल टेक्स/पार्किंग शुल्क का भुगतान प्रथमतः वाहन मालिक द्वारा देय होगा, जिसे वास्तविक मूल्य पर संबंधित माह के मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

(16) वाहन का चुनाव एवं आदेश निरस्तता के लिये पॉवर कंपनी के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

(17) वाहन चालक के पास वैध ड्रायविंग लायसेंस होना चाहिए। वाहन चालक को मृदुभाषी तथा अच्छा व्यवहार/आचरण का होना चाहिए। इस संबंध मे शिकायत प्राप्त होने पर वाहन चालक बदलकर अच्छे वाहन चालक को नियुक्त करना होगा। चालक के वैध लाइसेन्स की छायाप्रति इस कार्यालय में जमा करानी होगी।

(18) वाहन चालक को सामान्यतः प्रातः 10.00 से सायं 6.00 तक कर्तव्य निर्वहन करना होगा। आवश्यकता होने पर उक्त समय के अतिरिक्त नियंत्रक अधिकारी से प्राप्त निर्देशानुसार कर्तव्य निर्वहन करना होगा।

(19) किसी भी माह में वाहन सिर्फ एक दिवस रखरखाव हेतु दिया जावेगा, रखरखाव के लिए वाहन किस दिन दिया जाना है, इसका निर्णय नियंत्रक/अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जावेगा।

(20) वाहन चालकों को ड्यूटी पर सफेद गणवेश में उपस्थित होना अनिवार्य है। वाहन चालकों के पास मोबाईल फोन भी उपलब्ध रहना चाहिए। इस हेतु पॉवर कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

(21) वाहन यदि वित्तीय संस्था की मदद से खरीदा गया है तो प्रत्येक देयक के साथ विगत किश्तों की अदायगी का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा संबधित माह के देयकों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

(22) वाहन केवल निर्धारित ईंधन पर चलाना स्वीकार किया जायेगा। वाहन का चालन अन्य किसी भी वैकल्पिक ईंधन पर स्वीकार नही किया जायेगा।

(23) अनुबंधित अवधि के दौरान वाहन पर “ON C.S.P.H.C.Ltd. DUTY” अंकित करवाया जाये एवं अनुबंधित अवधि उपरांत उक्त शब्दों को हटाया जाना अनिवार्य होगा।

अतिरिक्त महाप्रबंधक (मा.सं.)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. रायपुर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ट–तीन

वाहन किराये पर दिये जाने हेतु दरें

निविदा क्रमांक : 01–02/टी–वाहन/2021–22/ रायपुर, दिनांक ....

क्र	वाहन का विवरण				वाहन का किराया		
	वाहन का प्रकार	वाहन का मेक	माडल	पंजीयन क्रमांक	2000 कि.मी. चालन के लिए प्रतिमाह दर रूपये	2000 कि.मी. से अधिक चालन के लिये दर रूपये प्रति किलोमीटर	2000 कि.मी. से कम चलने पर कटौती की दर रूपये प्रति कि.मी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 नग – आटो रिक्शा वाहन						
2	जीएसटी दर						

Please give following information also.

Sl. No.		
1.	11 digit Bank Account Number	
2.	Name of Account Holder/Account Name	
3.	Type of Account:- 01- Current Account 02- Saving Account	
4.	Banks MICR code	
5.	Name of the Bank	
6.	Address of Bank	
7.	City of Bank	
8.	Bank Branch	
9.	Bank IFSC code	
10.	PAN No. (copy to be enclosed)	
11.	Mobile No./Phone No.	
12.	GST No. (copy to be enclosed)	

टीपः– कृपया जो लागू हो, उसे (√) करे एवं अन्यथा को काट देवें।

1. **दरों में जीएसटी शामिल है/शामिल नहीं है।**
2. **निविदाकर्ता पर जीएसटी लागू है/नहीं है।**

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम
पता
कार्यालय –
निवास
फोन कार्यालय –

निवास –
मोबाईल –